राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 11(1)मं.मं./1999 जयपुर, दिनांक 18-07-2022

आदेश

राज्य में गठित विभिन्न आयोग/निगम/बोर्ड/समितियों में पदस्थापित अध्यक्ष/उपाध्यक्षगण जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है, को वेतन एवं सत्कार भत्ता हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 07.12.2017 के अतिक्रमण में तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार वेतन एवं सत्कार भत्ता प्रदान किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती हैः—

मद	देय सुविधाऐं
वेतन	65000/— (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है) 62000/— (जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है) 60000/— (जिन्हें उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है)
सत्कार भत्ता	55000/— (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है) 55000/— (जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है) 40000/— (जिन्हें उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है)

उक्त के अतिरिक्त शेष सुविधाऐं मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 30.11.2012 के अनुसार यथावत रहेंगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102203352 दिनांक 18.07.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. सचिव (जी.जी.), मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विभिन्न बोर्ड/आयोग/निगम के मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्षगण।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, समस्त निगम/बोर्ड।
9. सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग।
10. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

(श्रीराम मोदी)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

कमांक:प.11(1)मं.म./1999 जयपुर, दिनांक:-7/12/2017

–:– आज्ञा –:–

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 30.11.2012 के द्वारा राज्य में गठित विभिन्न आयोगों के अध्यक्षगण, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया हुआ है, को देय सुविधाओं यथा वेतन एवं सत्कार भत्ता मद (कम सं. 1) में संशोधन करते हुए तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार से वेतन एवं सत्कार भत्ता दिये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क.सं.	मद	देय सुविधाएं
1.	वेतन एवं सत्कार भत्ता	1–रू 45,000/–वेतन एवं रू 34,000/–सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा है) 2–रू 42,000/–वेतन एवं रू 34,000/–सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा है) 3–रू 40,000/–वेतन एवं रू 30,000/–सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें उपमंत्री स्तर का दर्जा है)

आज्ञा दिनांक 30.11.2012 में अंकित शेष सुविधाओं से संबंधित बिन्दु यथावत है। यह आज्ञा वित्त (नियम) विभाग की आई.डी.संख्या 101705862 दिनांक 16.11.2017 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

यह मंत्रिमण्डल सचिवालय में सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

252

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प० 11(1)मं.मं./99

जयपुर, दिनांकः 30/11/12

आज्ञा

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 06.01.2000,दि० 30.07.2010, दि० 24.2.2012 एवं दिनांक 30.05.2012 आज्ञा क्रमांकः प० 11(4)मं.मं./06 दिनांक 12.09.2008 के क्रम में राज्य में गठित विभिन्न आयोगों के अध्यक्षगण जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया हुआ है, को **देय सुविधाओं में सत्कार भत्ता की अतिरिक्त सुविधा** को तुरन्त प्रभाव से प्रदान करते हुए पूर्व में जारी किये गये आदेशों के अतिक्रमण में निम्नानुसार संशोधित (इकजाई) आदेश जारी किये जाते हैं :–

क्र.सं.	मद	देय सुविधाऐं
1.	वेतन एवं सत्कार भत्ता	₹ 30,000/–एवं ₹ 20,000/–सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा है) ₹ 27,000/–एवं ₹20,000/–सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें राज्यमंत्री स्तर का दर्जा है) ₹24,000/–एवं ₹15,000/–सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें उपमंत्री स्तर का दर्जा है)
2.	एक वाहन	जयपुर एवं जयपुर से बाहर राजकीय दौरे के उपयोग हेतु।
3.	चिकित्सा सुविधा	मंत्री/राज्यमंत्री /उप मंत्री को देय निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के अनुसार ।
4.	यात्रा भत्ता	मंत्री/राज्यमंत्री/ उप मंत्री को देय (ए क्लास अधिकारी के अनुसार) यात्रा भत्ता ।
5.	दैनिक भत्ता	राजकीय कार्य हेतुः– (क) राज्य में ₹1000/– प्रति दिन (180 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) (ख) राज्य से बाहर ₹1250/–प्रति दिन(100 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) (उक्त दोनों यात्रायें वर्ष में 180 दिवस तक सीमित रहेंगी)
6.	टेलीफोन	एक निःशुल्क राजकीय टेलीफोन कार्यालय के उपयोग हेतु। एक राजकीय टेलीफोन निवास हेतु जिसकी सीमा निम्न प्रकार होगीः– मंत्री स्तर हेतु 20,000/– काल्स प्रति दो माह में राज्यमंत्री स्तर हेतु 17,000 काल्स प्रति दो माह में उप मंत्री स्तर हेतु 7,500/– काल्स प्रति दो माह में
	अन्य ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था	माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण /उप मंत्रिगण को देय सुविधा के अनुसार सुविधा देय होगी ।

आवास भत्ता : आज्ञा क्रमांकः प० 11(4)मं.मं./06 दिनांक 12.09.2008 द्वारा प्रदत्त :–

क्र.सं.	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर	मासिक आवास भत्ता	विशेष विवरण
1.	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त पदाधिकारी जो जयपुर के निवासी नहीं हैं ।	₹10,000/–	इन्हें विश्राम भवन, जयपुर में आवास की सुविधा देय नहीं होगी।
2.	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त पदाधिकारी जो जयपुर के निवासी हैं ।	₹ 3,000/–	––

सदस्यगण हेतुः– इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 11.09.2012 के द्वारा राज्य में गठित विभिन्न आयोगों में पदस्थापित सदस्यगण को निम्न प्रकार से राजकीय सुविधायें प्रदान की गई हैः–

क्र.सं.		मद	देय सुविधाऐं
1.	राजकीय कार्य से बैठक में भाग लेने हेतु :–		₹1000/–प्रति बैठक (प्रत्येक माह में बैठकों की सीमा 5 रहेगी ।)
	(क)	बैठक में उपस्थित फीस (प्रत्येक बैठक हेतु)	
	(ख)	कन्वेन्स अलाउन्स (स्थानीय)	₹150/– प्रति बैठक (प्रत्येक माह में बैठकों की सीमा 5 रहेगी ।)
	(ग)	यात्रा भत्ता	"ए"श्रेणी के अधिकारियों को देय दर के अनुसार (प्रत्येक माह में यात्रा–भत्ता की सीमा 5 रहेगी।)
2.	टेलीफोन काल्स की सीमा		1800 काल्स प्रति दो माह तक की सीमा तक टेलीफोन बिल की राशि का पुनर्भरण देय।

यह आज्ञा वित (नियम) की आई.डी. संख्या 101204392 दिनांक 23.11.2012 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ0 गौतम मुखर्जी)
शासन उप सचिव